UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Board Sec/EGM/ 05 /2017

April 5, 2017

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	**Listing Department** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	**Scrip Code: UNITEDBNK**

Dear Madam/Sir,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting

The Exchange is hereby informed that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank is scheduled to be held on Friday, April 28, 2017 at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata 700027, to approve issuance and allotment on preferential basis of up to 16,74,67,948 (Sixteen Crore Seventy Four Lac Sixty Seven Thousands Nine Hundred Forty Eight) equity shares of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at a price of Rs. 24.96 per share including premium aggregating up to Rs.418 crore (Rupees Four Hundred and Eighteen Crore) for cash, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009.

Notice of the Extraordinary General Meeting dated March 31, 2017 is enclosed for your kind perusal and records.

We request you to kindly take note of the above pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **United Bank of India**

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/a

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2017 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Friday, 28th April, 2017 at 10.00 A.M.

सभा स्थल :
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडियर रोड,
कोलकाता - 700027

Venue :
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Kolkata - 700027

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय / Head Office :

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
Share Department & Investor's Grievances Cell :
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता –700001
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website | **www.unitedbankofindia.com**

सामग्री

पृष्ठ संख्या

सूचना 1

टिप्पण 2

व्याख्यात्मक विवरण 4

CONTENTS

Page No.

Notice 7

Notes 8

Explanatory Statement 11

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 के विनियम 49 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 28.04.2017 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडियर रोड, कोलकाता – 700027 में, निम्नलिखित व्यवसाय को परिचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त पर विचार करने और यदि उचित समझा जाएगा, तो निम्नलिखित को एक **विशेष संकल्प** के रूप में संशोधन के साथ/बिना पारित किया जाएगा।

"संकल्प किया गया कि समय-समय पर संशोधित (विनियम), बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे इसे **"अधिनियम"** के रुप में संदर्भित किया गया), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (इसके आगे इसे **"बैंकिंग विनियम अधिनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया), सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (इसके आगे इसे **"सेबी आईसीडीआर विनियमन"** के रुप में संदर्भित किया गया), सेबी (कर्तव्य सूची और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (इसके आगे इसे **"सेबी सूचीकरण विनियमन"** के रुप में संदर्भित किया गया) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010 (इसके आगे इसे **"विनियमन"** के रुप में संदर्भित किया गया) वित्त मंत्रालय के पत्र एफ सं. फा /38/2014 - बी ओ ए दिनांक 16 मार्च, 2017, दिनांक 27 मार्च, 2017, के दिन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित के प्रावधान के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक (इसके आगे इसे **"आरबीआई"** के रुप में संदर्भित किया गया), भारत सरकार (इसके आगे इसे **"जीओआई"** के रुप में संदर्भित किया गया), भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड (इसके आगे इसे **"सेबी"** के रुप में संदर्भित किया गया), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी देते समय उनके द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी तथा उक्त शर्तों और आशोधनों के शर्ताधीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो (यहां **"बोर्ड"** में इस उद्देश्य से गठित या गठित की आनेवाली समिति शामिल होगी), और संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन के शर्ताधीन तथा अनुमोदित शर्तों के तहत उक्त संशोधन, पुनराधिनियमन, संशोधन और बैंक के शेयरधारकों की सहमति इसके साथ बोर्ड को दी जाए। सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को प्रति शेयर रु.10/- के 16,74,67,948 (सोलह करोड़ चौहत्तर लाख सढ़सठ हजार नौ सो अड़तालीस) इक्विटी शेयर ताकि प्रति शेयर प्रीमियम रु. 14.96 समेत रु. 24.96/- प्रति शेयर अधिमान्य आधार पर सकल राशि नकद रु. 418 करोड़ (रुपए चार सौ अठारह करोड़) तक इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर सृजन, प्रस्ताव, और निर्गत करने के लिए सहमति प्रदान की जाती है;"।

"**पुनः संकल्प किया गया कि** उक्त उद्देश्य के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियमन 71 (क) के अनुसार अधिमान्य निर्गत दर स्थिर करने के लिए प्रासंगित तारीख 29 मार्च, 2017 होगी।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा बोर्ड की सहमति से ऐसा अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए अपनी अनुमति देने/मंजूर करते समय ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वार जैसे लगाया गया, अथवा अपेक्षित उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए बोर्ड की शक्ति और उसका प्राधिकार होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर *समरुप प्रभार* के वर्ग के होंगे, सेबी आइसीडीआर विनियमन के विनियम 78(1) के अनुसरण में लाभांश समेत सभी लॉक इन के शर्ताधीन होंगे।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड/समिति उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो इसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारो द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** बोर्ड को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझा आए, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा बैंक का ऐसा अन्य अधिकारी को एतदद्वारा सौंपे गए सभी अथवा किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया गया।"

बोर्ड के आदेशानुसार
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

तारीख : 31 मार्च, 2017
स्थान : कोलकाता

टिप्पण :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक को बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

विनियम 62(II) के विनियमन के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2017 को व्यवसाय समय के समापन से पहले बैंक के पास, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता 700001 में पहुंच जाना चाहिए।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों (ग्रान्टी) के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

विनियम के विनियमन 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है।

विनियम 61(II) के विनियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700001 में बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** अर्थात शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2017 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पहले जमा न की गई हो।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस सूचना में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. शेयरधारकों की पूछताछ

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

वरिष्ठ प्रबंधक, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता– 700001 **अथवा ई–मेल करें** **investors@unitedbank.co.in**	लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि. (यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) 59सी, चौरंगी रोड कोलकाता – 700020 **अथवा ई–मेल करें** **kolkata@linkintime.co.in**

5. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा।

6. ई–मतदान

सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 44 के अनुसार बैंक ने अपनी असाधारण आम बैठक की सूचना दिनांक 31.03.2017 में उल्लिखित मदों पर अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामनियम एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई–मतदान वैकल्पिक है। ई–मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैलट अथवा वोटिंग पेपर के माध्यम से बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों का ई–वोटिंग अधिकार उनके द्वारा 21.01.2017 **(निर्धारित तारीख)** तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में स्वीकार किया जाएगा।

मतदान की अवधि मंगलवार, 25.04.2017 को आईएसटी प्रात: 10.00 (आईएसटी) बजे आरम्भ होकर गुरूवार 27.04.2017 को सांय 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रूप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो जिसकी निर्दिष्ट सीमा (रिकार्ड तारीख) [.] तक है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग मॉडयूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई–मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(i) **"शेयरहोल्डर्स"** टैब पर क्लिक करें।

(ii) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें

क. सीडी एसएल के लिए: **16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी**

ख. एनएसडीएल के लिए: **8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी**

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए सदस्य **बैंक के साथ पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें**

(iii) अब प्रदर्शित हुए **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और लॉगिंन पर क्लिक करें।

यदि आप डीमैट के रूप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी/निकाय, की हाल ही के वोटिंग में मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:

	डीमैट रूप में एवं भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक •**पैन** की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रूप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोडिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें**।
	• **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें** अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए 00000001 प्रविष्ट करें।
जन्मतिथि	**आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि** या फोलियो संख्या **दिन/माह/वर्ष** की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक	**लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश** बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष फार्मेट में) या फोलियो की प्रविष्टि करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया विवरण हुआ है, कृपया अपनी सदस्यता आईडी/फोलियो सं. दिशानिर्देश (ii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(v) उचित रूप से इन ब्योरों को भरने के बाद "**सबमिट**" टैब पर क्लिक करें।

(vi) इसके बाद, भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प (ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता के साथ सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(vii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए किया जा सकता है।

(viii) **वोट करने हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के लिए **ईवीएसएन** पर क्लिक करें।

(ix) मतदान पृष्ठ पर, आप **"रिजोल्यूसन विवरण"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ/नही"** विकल्प होगा। विकल्प **हाँ** या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प **नहीं** रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

(x) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूसन फाईल लिंक"** पर क्लिक करें।

(xi) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आपने वोट करने का फैसला किया है, **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करे और अपने वोट को बदलने के लिए, **"कैंसल"** पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xii) रिजोल्युसन पर एक बार आप अपना वोट **"कनफर्म"** कर देते है, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नही दी जाएगी।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ को **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक करके, आप दवारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आर ले सकते हैं।

(xiv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो यूज़र आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और फॉरगौट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली दवारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(xv) **संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट**

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात-व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।

इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए। लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओ) को लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।

खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।

अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xvi) यदि आपको या ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुददा हो तो आप सामन्यत: पूछे जाने वाले सवाल (एफ ए क्यू) पर और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

7. **ईजीएम स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया:** जिन्होंने ई-मतदान विकल्प का प्रयोग नहीं किया वे बैठक की तारीख को ईजीएम के स्थान पर परिचालित किए जानेवाले मतदान में मतदान देने के हकदार होंगे।

8. **ई-मतदान एवं मतदान का परिणाम:** बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबदध हैं, उसे सूचित किया जाएगा।

9. **मतदान में संवीक्षक:** बैठक में परिचालित किए जानेवाले मतदान में कार्यसूची की मदों के संबंध में मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड क०, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवगण संवीक्षक के रुप में काम करेंगे।

10. **सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण :**

इश्यू की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक, बैंकिंग और संबधित गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए है। **31 दिसम्बर, 2016** तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 1339.45 करोड़ रुपए थी।

वित्त मंत्रालय ने अपने परिपत्त संख्या एक. सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 19, जुलाई 2016 के दवारा समग्र अनुमानों और जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आर डब्ल्यू ए) के परिणामी विकास के आधार पर बैंक की पिछले 5 वर्षो की ऋण वृद्धि और सीएजी आर से ऋण वृद्धि पूंजी पर्याप्ताता की समीक्षा और मूल्यांकन के बाद केंन्द्र सरकार के पक्ष में इक्विटी के तरजीही आवंटन के जरिए बैंक को रु. 810 करोड़ दिया है। इसके बाद, राशि का कुल 75% अर्थात रु. 608 करोड़ की पूंजी सितम्बर, 2016 में (1) प्रति शेयर रु. 22.73 की दर से 26.75 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन के एवज में डाली गई।

बैंक के टीयर 1 पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने क्वालीफाइड/संस्थागत क्रेताओं को मार्च, 2017 में क्वालीफाइड/संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से प्रति शेयर रु. 23.22 की दर से 5.49 करोड़ के शेयरों का आवंटन द्वारा रु. 127.49 करोड़ की उगाही की है।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ/38/2014. बीओए दिनांक 16 मार्च, 2017 के माध्यम से निम्नलिखित के शर्ताधीन भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में बैंक में अधिमान्य इक्विटी के रुप में रु. 418/- करोड़ (रुपये चार सो अठारह करोड़ मात्र) की पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य को सूचित किया है।

I. पूंजी आवंटन तिमाही माइल स्टोन के साथ संपर्कित है, जिसपर सभी संबंधित पार्टियां अर्थात बैंक के बोर्ड, प्रबंधन, कर्मचारीगण और सभी यूनियन की सहमति की जरुरत है।

II. भारत सरकार, बैंक का प्रबंधन और पीएसबी के कर्मचारियों की बीच में एक त्रिपाक्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाना चाहिए।

III. उक्त एमओयू में वित्त वर्ष 2018 से प्रारम्भ और उसके आगे के लिए एक समयबद्ध योजना हेतु सभी सहभागियों के बीच में समझौता होना चाहिए, जिसमें गुणात्मक और निर्धारित माइल स्टोन होना चाहिए, जिसकी तिमाही आधार पर निगरानी की जानी चाहिए।

IV. एमओयू के तहत उक्त माइलस्टोन में पहल की गई सूचकांक सूची एक भाग बनेगा, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

क) जोखिम अंकन को मजबूत बनाने और उसकी निगरानी के लिए सक्रिय एनपीए प्रबंधन

ख) बाजार से पूंजी की व्यवस्था करना

ग) गैर कोर आस्तियों के निपटान हेतु क्रमागत योजना

घ) हानि में चल रही देश और अन्तर्राष्ट्रीय शाखाओं को बंद करने के लिए सहायक हिस्सेदारी का विनिवेश

ङ) प्रसाशनिक, परिचालन व्यय समेत अस्थायी रुप से कर्मचारियों के लाभ की पुनर्सरचना समेत कमी और तर्कसंगत बनाना (आवश्यकता पड़ने पर), बैंक की स्थिति में परिवर्तन होने पर इसे परिवर्तित किया जा सकता है।

सरकार के दिशानिर्देशानुसार बैंक को उक्त राशि मिलना बाकी है, जिसे शेयर एप्लीकेशन मनी में रखा गया है।

बैंक द्वारा अपने अग्रिम पोर्टफोलियों को बढ़ाना और आस्ति गुणवत्ता में सुधार करना और एनपीए की वसूली पर विशेष रुप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। बैंक ने अपने आस्ति बही की गुणवत्ता में सुधार करने और विशेषत बट्टेखाते डाले खातों की वसूली और उन्नयन के जरिए एनपीए को कम करने में ध्यान केन्द्रित किया है।

वर्तमान में, भारत सरकार की बैंक में शेयरधारिता रु. 1188.36 करोड़ है जिसमें बैंक की कुल 85.23% प्रदत्त पूंजी शामिल है। बेसल–III के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी निधि निम्नप्रकार थी–

विवरण (30.12.2016 तक)	**राशि (राशि करोड़ में)**	**जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी निधि का %**
जोखिम भारित आस्तियां	74613	
टीयर–I पूंजी	6462	8.66%
टीयर–II पूंजी	1625	2.18%
कुल पूंजी	8087	10.84%

बैक ने 31.03.2017 तक 10.5% (1.25% की सीसीबी समेत 10.25% की न्यूनतम आवश्यकता के पक्ष में) के सीआरएआर का रखरखाव करने लक्ष्य निर्धारित किया है।

अतिरिक्त पूंजी अवश्यकता को आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार आंतरिक जेनरेशन, इक्विटी जारी करना और बेसल III के अनुरुप ऋण लिखतों के संयोजन से पूरा किया जा सकता है।

लक्षित व्यवसाय वृद्धि के विस्तार और प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि की आवश्यकता को पूरा करने और सामान्य ऋण देने के उद्देश्य से बैंक ने ऐसी कीमत पर जो इश्यू से कम पर निर्धारित हो सके, केन्द्र सरकार को इक्विटी के अधिमान्य आवंटन के जरिए परस्पर निधि जुटाने का प्रस्ताव रखा है।

निदेशक मंडल मे दिनांक 27.03.2017 को आयोजित बैठक में मौजूदा इश्यु का अनुमोदन किया है।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार अधिमानी आवंटन किया जाएगा।

बैंक में प्रमोटर की धारिता पहले से ही 85.23% अर्थात 75% से अधिक है। बैंक ने प्रमोटर की धारिता में वृद्धि करने के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सेबी से संपर्क किया है। सेबी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 78 (6) के अनुसार भारत सरकार की समस्त अधिमानी धारिता वर्तमान अधिमानी आवंटन के अधीन आवंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन प्राप्त करने की प्रासंगिक तारीख से 6 माह तक बंद रहेगी। विनियम 78 (I) के अनुसार भारत सरकार को आवंटित नए शेयर बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 20% के शर्ताधीन वर्तमान अधिमानी आवंटन के अन्तर्गत आवंटित शेयरों के लिए ट्रेडिगं अनुमोदन की प्राप्ति की तिथि से 3 वर्षों के लिए बंद रहेगा तथा 20% से अधिक के लिए 1 वर्ष तक अवरुद्ध रहेगा।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित हो जाता है, बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त अधिमान्य आवंटन करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

जुटाई गई पुंजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी और टीयर–1 पूंजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

समग्र अधिमान्य इश्यू, भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही है।

भारत सरकार को आवंटित किए जानेवाले शेयरों का निर्गम मूल्य विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित किया गया है। 29.03.2017 को प्रासंगिक तारीख मानते हुए, भारत सरकार को प्रीमियम समेत निर्गम मूल्य को प्रति इक्विटी शेयर रू. 24.96 निर्धारित किया गया है।

viii) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता ढाँचा :

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (प्रासंगिक तारीख तक)		अनुमानित निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	**प्रमोटरों का होल्डिंग**				
	प्रमोटरों				
	भारत सरकार	1188364031	85.23	1355831979	86.81
ख.	**गैर-प्रमोटर**				
	पब्लिक शेयर होल्डिंग	205991552	14.77	205991552	13.19
	कुल योग	1394355583	**100.00**	1561823531	**100.00**

बैंक के इक्विटी शेयर छः माह से अधिक के लिए सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) और 78(5) का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करता है कि इश्यू को बैठक में प्रस्तुत किए जानेवाले इन विनियमों की आवश्यकता के अनुसरण में तैयार किया गया है।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं सेबी सूचीकरण विनियम के तहत निर्धारित और निर्धारित इक्विटी शेयरों के क्रमागत सूचीकरण की शर्तों का पालन किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध तारीख से पहले छः माह के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर को बेचा नहीं गया है।

सेबी सुचीकरण विनियमन के विनियम 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन मांगता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधान के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पूर्नगणना के लिए, जहां अपेक्षित है, बैंक बचन देता है।

उपर्युक्त कारणों से उक्त निर्गम के संबंध में स्थिर करने हेतु बोर्ड को विवेकाधिकार तथा उसे पर्याप्त सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित संकल्पों की अनुशंसा की जाती है। उक्त उद्देश्य के लिए एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना बैंक के लिए जरुरी है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति हेतु अनुरोध है।

निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है। बैंक का कोई भी निदेशक, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्पों में रूचि नहीं रखते हैं अथवा उससे संबंधित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक : 31.03.2017

स्थान : कोलकाता

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 49 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of United Bank of India will be held on Friday, April 28, 2017, at 10.00 A.M. at Bhasa Bhavan Auditorium, National Library, Belevedere Road, Kolkata-700027 to transact the following business:-

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT**, pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as '**the Act**'), Banking Regulation Act 1949 (hereinafter referred to as "**Bank Regulation Act**"), SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009 (hereinafter referred to as "**SEBI ICDR Regulations**"), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "**SEBI Listing Regulations**"), and United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "**the Regulations**"), Ministry of Finance letter F. No. F/38/2014-BOA dated March 16, 2017, approval by the Bank's Board of Directors dated March 27, 2017 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**RBI**"), Government of India (hereinafter referred to as "GoI"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "**SEBI**"), the Stock Exchanges on which the securities of the Bank are listed and/ or such other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them while granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (here the "**Board**" shall include any "**Committee**" constituted or to be constituted by the Board for the purpose) and subject to such amendments, re-enactments, modifications to the relevant Act, Rules, Regulations and approvals, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot up to 16,74,67,948 (Sixteen Crore Seventy Four Lac Sixty Seven Thousands Nine Hundred Forty Eight) equity shares of Rs.10/- each to President of India acting on behalf of the Government of India at Rs. 24.96 per share including a premium of Rs. 14.96 per share determined in accordance with Regulation 76(1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating up to Rs.418 crore (Rupees Four Hundred and Eighteen Crore) for cash on preferential basis."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Relevant Date in terms of Regulation 71(a) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Preferential Issue Price is March 29,2017."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the securities of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank in all respect including dividends and be subject to lock-in in terms of Regulation 78(1) of the SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may in its absolute discretion deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated : March 31, 2017
Place : Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 62 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010, a shareholder entitled to attend and vote at the Meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(II) of the Regulations, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office at 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700 001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of Friday, April 21, 2017.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(VI) of the Regulations shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

Pursuant to Regulation 61 of the Regulations, a shareholder, being the Central Government or a Company, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or Company which he/she represents as if he/she were an individual shareholder of the Bank.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 62(II) of the Regulations, no person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a certified to be a true copy of the resolution signed by the Chairman of the meeting at which it was passed, appointing him/her as such is deposited to the Bank at its Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office at 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700 001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of Friday, April 21, 2017.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY-PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is enclosed with this Notice. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry-pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to –

Senior Manager, Share Department & Investors Grievance Cell, United Bank of India, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata 700001 **or emailed to investors@unitedbank.co.in**	Link Intime India (P) Ltd. (Unit: United Bank of India) 59C, Chowringhee Road, Kolkata – 700020 **or emailed** to kolkata@linkintime.co.in

5. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

6. E-VOTING

The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the item(s) mentioned in the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Bank dated March 31, 2017. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

E-voting is optional. In addition to e-voting the shareholders shall have the option of voting through ballot/ voting papers at the venue of the Meeting. Shareholders who have cast their votes by electronic means may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes.

The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on April 21, 2017 (**the Cut-off Date**).

The E-voting period shall begin at 10.00 hrs. (IST) on Tuesday, April 25, 2017 and end at 17.00 hrs. (IST) on Thursday, April 27, 2017. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their votes by electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period.

i. Click on "**Shareholders**" tab.

ii. Enter your **User ID**

 a. For CDSL: **16 digit beneficiary ID,**

 b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID,**

 c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Bank.**

iii. Next enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login**.

If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company / entity, then your existing password is to be used.

iv. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric ***PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field**. ● **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters**. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.

Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank Details records for the said demat account or folio in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (ii).

(v) After entering these details appropriately, click on "**SUBMIT**" tab.

(vi) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting on resolutions of any other company which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vii) For Member holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** to vote.

(ix) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option YES or NO as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(x) Should you wish to peruse the whole resolution, please click on the "**RESOLUTIONS FILE LINK**".

(xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xii) Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xiv) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on "**Forgot Password**" & enter the details as prompted by the system.

(xv) **Note for Institutional Shareholders**

Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xvi) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the **Frequently Asked Questions** ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

7. **VOTING PROCESS AT THE EGM VENUE:** Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the Meeting.

8. **RESULTS OF THE E-VOTING & VOTING:** The consolidated results of e-Voting and Voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and disseminating the same to Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed.

9. **SCRUTINIZER AT THE VOTING:** M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of the agenda items at the Voting to be conducted at the Meeting.

10. **EXPLANATORY STATEMENT SETTING OUT MATERIAL FACTS:**

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on December 31st, 2016 was Rs.1339.45 crore.

Ministry of Finance after assessment and review of the Bank's capital adequacy in the light of the projections for credit growth by the Bank and CAGR of credit growth of the Bank for last 5 years and based on overall projections and consequential growth of Risk Weighted Assets (RWA) and other financials, vide its letter F.No.7/38/2014-BOA dated July 19, 2016 allocated Rs.810 crore to the Bank by way of preferential allotment of equity in favour of the Central Government and Rs.608 crore had been infused in September 2016 against allotement of 26.75 Cr. Equity Share @ Rs. 22.73 per share.

In order to augment Bank's Tier-I capital, the Bank raised Rs. 127.49 Cr. by allotment of 5.49 Cr. shares @ Rs. 23.22 per share to Qualified Institutional Buyers through Qualified Institutions Placement in March, 2017.

Government of India vide their letter R.No. F/38/2014-BOA dated 16th March 2017 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs.418 crore (Rupees Four Hundred and Eighteen Crore Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India) subject to the following

I. The Capital allocation is linked with quarterly milestones on which all related parties i.e., Bank's Board, Management, employees and unions must consent.

II. A Tripartite Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of India, the Bank management and employees of the PSB has to be entered into.

III. The MOU has to commit all the participants to the agreement for a time-bound plan beginning FY 2018 onwards with quantifiable and measurable milestones which can be monitored on quarterly basis.

IV. The Indicative list of initiatives which will form part of the milestones under the MOU will include the following

a) Active NPA Management and strengthening of credit under writing and monitoring

b) Arranging Capital from the market

c) Continuing plan for disposal of non core assets

d) Divestment of subsidiary stake to closure of loss making domestic/international branches

e) Rationalization and reduction of administrative, operating expenses including temporary restructuring of employees' benefits (in case of need), which can be reversed as the bank, manages to successfully turnaround.

As per Government's direction the Bank is in receipt of the said amount and the amount is kept in the Share Application Money Account.

The Bank has been focusing mainly on two aspects – increasing its advances portfolio and improving asset quality and recovery of NPA. The Bank continues to concentrate on building its asset book in good quality corporate and reducing NPA by recovery and upgradation, especially in the written off accounts.

Presently, the shareholding of Government of India in the Bank is Rs.1188.36 crore constituting 85.23% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as of December, 2016 under Basel-III was as under –

Particulars (As on 30.12.2016)	**Amount (Rs. in Crores)**	**% of capital funds to risk weighted asset**
Risk Weighted Assets	74613	
Tier-I Capital	6462	8.66%
Tier-II Capital	1625	2.18%
Total Capital	8087	10.84%

The Bank is targeting to maintain CRAR above 10.5% (against minimum requirement of 10.25% including CCB of 1.25%) as on 31.03.2017.

This additional capital requirement can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments subject to RBI guidelines.

In order to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes the Bank proposes to raise funds inter alia by way of Preferential Allotment of equity to the Central Government at such price as may be determined close to the issue.

The Board of Directors at its meeting held on March 27, 2017 has approved the present issue.

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The promoter' holding in the Bank is already at 85.23% i.e. beyond 75%. The Bank has approached SEBI for its approval to the proposed further increase in promoters' holding. Approval of SEBI on the matter is awaited.

In accordance with the Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of obtaining trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 78(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of receipt of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned issuance and allotment.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier – I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being issued to Government of India.

The Issue Price on shares to be allotted to GOI has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. Considering March 29, 2017 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI is fixed at Rs. 24.96 per equity share.

viii) **Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:**

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the issue (Estimated)	
		No. of shares held	Percentage of shareholding (%age)	No. of shares to be allotted	Percentage of shareholding (%age)
A.	**Promoter's Holding**				
	Promoters				
	Government of India	1188364031	85.23	1355831979	86.81
B.	**Non –Promoter**				
	Public Shareholding	205991552	14.77	205991552	13.19
	Grand Total	1394355583	**100.00**	1561823531	**100.00**

The equity shares of the Bank have been listed for more than 6 months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.

All the shares held by the Government of India are dematerialized and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

The Central Government has not sold any equity shares of the Bank during the 6 months preceding the relevant date.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

For reasons aforesaid, the enabling resolutions are therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the Notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated : March 31, 2017

Place : Kolkata

BOOK-POST / बुक पोस्ट

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ :

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata – 700020

BNPL-CCU-001-281

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2017/ Friday, 28th April, 2017. समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे/Time : 10.00 a.m.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड, कोलकाता–700027/ Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata - 700027.

ईवीएसएन/EVSN	यूजर आईडी/User ID	सीक्वेंस सं/Sequence No.	डिफल्ट जन्मतिथि दिन/माह/वर्ष में (जहां जन्मतिथि पंजीकृत नहीं है) / Default DOB in dd/mm/yy (Where DOB is not registered)
170329002			

ई–मतदान मंगलवार, 25 अप्रैल, 2017 को 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा Evoting begins on Tuesday, April 25, 2017 at 10.00 hrs. (IST)	ई–मतदान गुरूवार, 27 अप्रैल, 2017 को 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा/Evoting ends on Thursday, April 27, 2017 at 17.00 hrs. (IST)

ई–मतदान ब्योरा के लिए ईजीएम नोटिस की बिन्दु सं 6 देखें / Please refer to point no. 6 in the EGM Notice for details on e-voting.

.

उपस्थिति पर्ची /ATTENDANCE SLIP

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए /To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मैं एतद्द्वारा दिनांक शुक्रवार दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडियर रोड, कोलकाता 700027 मे आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करता हूं। / I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank on Friday, April 28, 2017 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata - 700 027.

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
Regd. Folio/ पंजीकृत फोलियो		**DP ID & Client ID/** डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय /Head Office : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

प्रवेश पत्र /ENTRY PASS

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
पंजीकृत फोलियो **Regd. Folio/**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी **/ DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के अधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश करने के लिए वे उपरोक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार, प्रवेश–पत्र के साथ प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर प्रवेश का सत्यापन अथवा उसकी जांच की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु, बैंक दवारा डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी। /

Shareholders/ proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

प्रॉक्सी फार्म (फार्म–बी)/PROXY FORM (FORM 'B')

(शेयरधारक द्वारा भरा जाना और हस्ताक्षरित किया जाना है/To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो / डीपी आईडी / क्लाइंड आईडी / Regd. Folio / DP ID / Client ID		

मैं/हम/I/We _____निवासी/Resident(s) of _____ जिला / in the district of _____ राज्य / in the state of _____ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा/being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint श्री/श्रीमती/Shri/Smt. _____ निवासी /resident of _____ जिला/in the district of _____ राज्य/in the state of _____ या उनके नही आने पर श्री/श्रीमती/or failing him/her, Shri/Smt. _____ निवासी/resident of _____ जिला /in the district of _____ राज्य /in the state of _____को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रुप में दिनांक 28 अप्रैल 2017, शुक्रवार को पूर्वाहन 10.00 वजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडियर रोड, कोलकाता 700027 में एवं किसी स्थान की स्थिति में, बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरे/हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं। as my/our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of United Bank of India to be held on Friday, April 28, 2017 at 10.00 hrs. (IST) at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata -700 027 and at any adjournment thereof.

दिनांक _____2017 को इस पर हस्ताक्षर किया / signed this _____ day of _____ 2017.

रसीद टिकट
चिपकाएँ
Please Affix
Revenue Stamp

प्रॉक्सी के हस्ताक्षार / Signature of Proxy

Name :

नामित/एकमात्र शेयरधारक का हस्ताक्षर

Signature of First named/Sole Shareholder

.

प्रॉक्सी फॉम पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश /
INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब–
 क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षरित / उसे या उसकी / उसके वकील द्वारा लिखित रुप में विधिवत अधिकृत किया गया हो,
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी / उसके वकील का जो लिखित रुप में विधिवत अधिकृत किया गया हो,
 ग) एक निगमित निकाय के मामले में, जो विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो या एक वकील द्वारा लिखित रुप में अधिकृत किया गया हो। यह नोट किया जाए कि एक प्रॉक्सी की नियुक्ति के संबंध में, एक समुचित अधिकृत प्रतिनिधि / उसके अधिकार के तहत उसकी नियुक्ति के लिए संकल्प को बैठक के अध्यक्ष महोदय द्वारा एक सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि के रुप में संलग्न किया जाए।

 No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing.
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing.
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. प्रॉक्सी का लिखत पर्याप्त रुप में कोई शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी / उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।
 An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. प्रॉक्सी के साथ
 क) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 ख) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या अधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक **प्रति, शेयर विभाग व निदेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001 को असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले या 21 अप्रैल 2017,शुक्रवार को, अपराहन 05.00 बजे बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले** जमा किया जाना चाहिए।

 The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney of authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Ivestors Grievance Cell, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001** not less thean **FOUR DAYS** prior to the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before the closing business hours of the Bank of Friday, 21st April, 2017 by 17.00 hrs. (IST)**
4. कोई लिखत प्रॉक्सी तब मान्य होगा जब कि इस पर विधिवत मुहर लगी हो और विनियमन के प्रपत्र "बी" में हो।
 No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010.
5. बैंक के पास जमा किया गया लिखत प्रॉक्सी अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा।
 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. दो वैकल्पिक ग्रांटीज के पक्ष में स्वीकृत लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
 In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित क्या है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
 The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी या एक कर्मचारी हो।
 No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.